



भारत सरकार

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय प्रशिक्षण महानिदेशालय



राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून

ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून (उत्तराखंड) - 248171

दूरभाष: 0135-2629310 E-mail: nsti-dehradun@dgt.gov.in

शिल्पकार प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सूचना/

Admission Notice for CTS Course

संस्थान द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत सत्र 2024-2025 में आयोजित किए जाने वाले DGT(NCVET) approved, NSQF Level-4 के निम्न पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं:-

1-सोलर टैक्नीशियन (इलैक्ट्रिकल)-20 सीटें अवधि - 01 वर्ष

पात्रता:-उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से विज्ञान व गणित विषयो सहित 10वीं कक्षा या इसके समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

आयु: न्यूनतम 14 वर्ष (दिनांक 02.09.2024 को)

आरक्षण: भारत सरकार के नियमनुसार।

आन लाईन पंजीकरण: दिनांक 20.05.2024 से 31.07.2024 तक <https://forms.gle/d7X75pQLzrHZERf07> पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी या विवरण के लिए संस्थान की वेबसाईट <https://nstidehradun.dgt.gov.in> को देखें।

मेरिट का प्रकाशन: दिनांक तिथि 08.08.2024 को किया जायेगा।

प्रवेश लेने की अन्तिम तिथि: 16 अगस्त 2024 सायं 5.30 बजे तक होगी।

Applications are invited from the interested candidates for admission in the following course of NSQF Level 4 Scheme approved by DGT(NCVET) for session 2024-2025 under the Craftsmen Training Scheme.

1-Solar Technician (Electrical) -20 seats - Duration:- 01 year

Eligibility: For the above course, it is mandatory to pass 10th class or its equivalent with science and mathematics subjects form any recognized Board/ University.

Age: Minimum 14 years (as on 02.09.2024)

Reservation: As per the Rules of Government of India.

ONLINE REGISTRATION : from 20.05.2024 to 31.07.2024 can be done at <https://forms.gle/d7X75pQLzrHZERfo7>. For more information or details, please visit the website of the Institute at <https://nstidehradun.dgt.gov.in>.

Date of Publication of Merit: 08.08.2024.

Last date for admission: 16 august 2024 tell 5.30pm.

Admission will be given on the basis of merit and merit will be made on the basis of mark obtained in High School.

क्षेत्रिय निदेशक/विभागाध्यक्ष